सेवा में

श्री मान आई०जी० महोदय,
रीवा रेंज, रीवा जिला रीवा,
मध्य प्रदेश

बिषय :- सिंगरौली प्रशासन की सह पर ही अरोपिओं (मामला नीरज गुप्ता V/S अज़ीम प्रेमजी बगैरह और मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह के समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों, समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के रिश्तेदारों व समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के जानने वालों द्वारा) मुझ फरियादी नीरज गुप्ता पर किया जा रहा प्राणघातक हमलों के बावत

मान्यवर

सबिनय नम्र निवेदन हैं कि फरियादी नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता ग्राम व थाना बरगवां जिला सिंगरौली का मूल निवासी हैं । और एक पैर से विकलांग होने के साथ-साथ बेरोजगार व अति गरीब परिवार से तालुकात रखता हैं। और फरियादी खुद की प्रारंभिक पढाई बरगवां से और वैढन से हार्डवेयर नेटवर्किंग व सिक्यूरिटी की पढाई पूरी कर दिल्ली गया और वहा 3 प्राइवेट कंपनियों में कार्य कर चूका हैं

यह कि विप्रो कम्पनी के प्रमुख अज़ीम प्रेमजी और उनके कर्मचारीओं द्वारा पिछले कई सालों से देश के हर कोनों से फर्जी नौकरी के नाम पर लाखों-करोडो बेकसूर नौजवानों के भविष्य को ख़राब किया जाता रहा हैं । जिनके झासा में फरियादी भी आ कर खुद की भविष्य को ख़राब कर चूका हैं । जिस पर फरियादी द्वारा उक्त मामले की शिकायत माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका क्र० 8239/15 दिनांक 12/05/2015 को दर्ज कराई गई । जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले को दिनांक 05/06/2015 को दर्ज किया गया । और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले की सुनवाई करते हुए दिनांक 03/08/2015 को आदेशित किया गया, कि फरियादी मामले की एक अपराधिक शिकायत निचली न्यायालय में दर्ज कराये । जिस पर फरियादी द्वारा उक्त मामले की एक अपराधिक याचिका जिसमें आरोपी/प्रत्यर्थी गणों (**1. अज़ीम प्रेमजी मुख्य प्रबंधक विप्रो कम्पनी, 2. सुरेश महतो, 3. आलोक कुमार संधिल्या, 4. मृदुल घोष, 5. सौरभ आचार्या**) के विरुद्ध धारा **204, 311, 419, 420, 467, 468, 34-IPC** के तहत मामला माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड आर०पी० सिंह महोदय प्रथम श्रेणी देवसर में दर्ज कराई गई । जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए, दो आरोपीओं (**सुरेश महतो और आलोक कुमार संधिल्या) के विरुद्ध धारा 420, 465, 120-बी के तहत दिनांक 05/05/16 को मामला पंजीबद्ध किया गया** । और शेष अरोपिओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया । जिस पर फरियादी द्वारा **दिनांक 07/06/2017** को मामले की पुनर्बिचार याचिका माननीय अपर जिला न्यायालय देवसर में दर्ज कराई गई । जिस पर माननीय अपर जिला न्यायलय द्वारा मामले में सुनवाई करते हुए **दिनांक 08/08/2017** को परिवाद के शेष तीन और आरोपी/प्रत्यर्थी गणों को **सबब बताओं नोटिस जारी किया गया** । जिस पर आज दिनांक तक उक्त मामले के किसी भी आरोपी/प्रत्यर्थी गणों द्वारा न तो माननीय न्यायालय में पेश हुआ गया और न ही किसी आरोपी/प्रत्यर्थी गणों द्वारा नोटिस का जबाब दिया गया हैं । जिसकी प्रसारण के लिए **न्यूज़-**

N.K. Gupta

24 का सिंगरौली संबाददाता देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा फरियादी का वयान कैमरे में **दिनांक 22/05/16** को व फरियादी के वकील का वयान कैमरे में वयान **दिनांक 02/06/16** को लिया गया । और मामला प्रसारण न कर विप्रो प्रमुख से लाखों में पैसे ले कर फरियादी को धमकाया जाता रहा । जिस पर फरियादी द्वारा सिंगरौली पुलिस से लिखित शिकायत किया गया । जिस पर सिंगरौली पुलिस द्वारा मामले में कोई कार्यवाही नहीं किया गया । जिस पर मुझ फरियादी द्वारा माननीय न्यायालय में एक अन्य मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह आरोपी गणों **(1. अनुराधा प्रसाद मुख्य प्रबंधक न्यूज़-24 न्यूज़ चैनल, 2. देवेन्द्र पाण्डेय, 3. न्यूज़-24 आफिशियल व्हाट्सएप अटेंडर, 4. पंकज शर्मा)** के विरुद्ध **धारा 204, 420, 465, 500, 34 IPC** के तहत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड आर०पी० सिंह महोदय देवसर में दर्ज कराई गई । जो बिचाराधीन हैं । और दिनांक 06/11/2017 को माननीय सुधीर कुमार सिंह महोदय अपर जिला न्यायालय द्वारा नीरज गुप्ता V/S अज़ीम प्रेम जी बगैरह मामले की सुनवाई करंते हुए आदेशित किया गया हैं कि **``मामले के 3 और अभियोक्तो के खिलाफ पर्याप्त साबुत माननीय न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं । जिस पर माननीय अधिनस्त न्यायालय द्वारा साबुत में पुन: बिचार कर मामले के समस्त अभियुक्तों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करे`` और नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह मामला माननीय अधिनस्त न्यायलय द्वारा कभी भी पंजिबध्य किया जा सकता हैं ।** जिस पर दोनों मामले के समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों, समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के रिश्तेदारों व समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के जानने वालों द्वारा फरियादी को फोन कर धमकिया दिया जाना आम बात था ही, **दिनांक 09/08/17 और 07/10/17 को लगातार दो बार देवेन्द्र पाण्डेय और उसके कुछ अन्य अरोपियोके साथ-साथ सिंगरौली प्रसाशन द्वारा मुझ दिब्यांग फरियादी पर प्राण घातक हमला करने की कोशिश किया गया । जिसकी शिकायत मुझ फरियादी द्वारा जिला प्रसाशन से किया गया । किन्तु कार्यवाही न कर जिला प्रसाशन द्वारा मुझ फरियादी को धमकिया देना चालू कर दिया गया । इसप्रकार हैं-**

1. मामल क्र0 621/16 जो कि माननीय न्यायीक मजीस्ट्रेड महोदय प्रथम श्रेणी देवसर द्वारा दिनांक 05/05/16 को मामला पंजीबध्द किये जाने की खबर को जग–जाहिर करने पर अकारन ही **लाईव टि0वी0 के संवाददाता 8516959063 (अमन तिवारी)** द्वारा मुझे मेरी मॉ व बहन की गाली व्हात्सऐप के एक ग्रुप पर दिया गया था। और उसके बाद दिनांक 06/03/16 को मो0 नं0 8516959063 से मेरे मो0 नं0 7771822877 पर **अमन तिवारी द्वारा खुद तो मेरी मॉ और बहन की गाली दिया गया। साथ मे अमन तिवारी द्वारा खुद के पत्नी से भी मेरी मॉ और बहन की गाली दिलाया गया। जिसका फ़ोन टेप मेरे द्वारा किया गया हैं।** और इसके साथ कल दिनांक 23/04/17 को भी मो0 नं0 8516959063 से मेरे मो0 न0 7771822877 पर व्हात्सऐप कर मेरी मॉ और बहन की गाली देता रहा।

2. मुझ फरियादी द्वारा उक्त मामले की लिखित शिकायत पुलिस के आला-अधिकारीओं को किया गया था । जिस माननीय SP महोदय के दिशानिर्देश पर माननीय रिटायर राजेश सिंह परिहार SDOP महोदय सिंगरौली द्वारा मुझ फरियादी का मामले सम्बंधित वयान दिनांक 09/06/17 को बरगवां थाना में लिया गया । किन्तु क्या कार्यवाही किया गया, की कोई जानकारी नहीं दिया गया । दिनांक 23/06/17 को फरियादी के फोन पर एक SMS से पता चला की माननीय CM हेल्पलाईन द्वारा उक्त मामला क्र 4095374 को पंजिबध्य किया गया हैं । और माननीय सिंगरौली SDOP महोदय द्वारा माननीय CM हेल्पलाईन को दिए गए जानकारी के आधार पर बंद कर दिया गया । जो इस प्रकार हैं - 1. पहली त्रुटी माननीय SDOP महोदय द्वारा दिए गए जानकारी में कहा गया कि फरियादी आरोपी अमन तिवारी के खिलाफ फरियादी द्वारा एक परिवाद माननीय जे०एम०एफ०सी० देवसर में धारा 420,465,120-बी, 34 ICP के तहत दर्ज कराया गया । जब की फरियादी द्वारा अमन तिवारी के खिलाफ कोई

परिवाद किसी भी माननीय न्यायलय में पेश नहीं किया गया । 2. दूसरी त्रुटी माननीय SDOP महोदय द्वारा माननीय CM हेल्पलाईन को दिए जानकारी में पटाया गया कि जाँचकर्ता द्वारा जाँच दिनांक 19/06/17 को किया गया । जब की जाँच की रिपोर्ट में जांचकर्ता द्वारा खुद के साईन कर दिनांक 10/06/17 लिखा हैं । जिस कारण उक्त मामले की जाँच को माननीय CM हेल्पलाईन द्वारा बंद कर दिया गया । इससे स्पस्ट हैं कि माननीय रिटायर SDOP राजेश सिंह परिहार महोदय द्वारा किया गया जाँच से उक्त दोनों मामलो **(मामला नीरज गुप्ता V/S अज़ीम प्रेमजी बगैरह और मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद बगैरह के समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों, समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के रिश्तेदारों व समस्त आरोपी/प्रत्यर्थी गणों के जानने वालों द्वारा)** के समस्त अरोपिओं के हौसले बुलंद हैं । और यही कारण हैं कि उक्त दोनों मामलो के समस्त आरोपियों के साथ-साथ सिंगरौली पुलिस प्रसाशन द्वारा मुझ फरियादी पर प्राणघातक हमला करने की प्रक्रिया तेज कर दिया गया हैं । और किसी भी वक्त मुझ फरियादी को मार गिराया जा सकता हैं ।

3. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड आर०पी० सिंह महोदय द्वारा दिनांक 05/05/16 को मामला क्र० 621/16 के 2 अरोपिओं (आरोपी सुरेश महतो, अलोक कुमार शंधिल्या) के खिलाफ धारा 420, 465, 120-बी के तहत पंजीकृत मामला को प्रसारित करने के लिए मामला नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद के आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय न्यूज़-24 के सिंगरौली संबाददाता द्वारा फरियादी का कैमरे में वयान दिनांक 21/05/16 को और फरियादी के वकील का वयान दिनांक 06/06/16 को लिया गया जिस पर आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा प्रत्यर्थी अज़ीम प्रेमजी से लाखों में पैसे ले कर मामला को प्रसारित नहीं कर मुझ दिब्यांग फरियादी को डराने व् धमकाने लगा जिसकी शिकायत सिंगरौली पुलिस से किया गया किन्तु सिंगरौली पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने की सूरत में फरियादी द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय देवसर में एक परिवाद नीरज गुप्ता V/S अनुराधा प्रसाद दर्ज कराई गई जिस पर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेड महोदय द्वारा मामले में सुनवाई जारी है और बहुत जल्द मामला पंजिबध्य होने वाला हैं ।

देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया पहला हमला की कोशिश :- आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 07/08/17 से लगातार फोन व् व्हाट्सएप पर भद्दी-भद्दी गलिय देने के साथ दिनांक 09/08/17 को फरियादी पर प्राणघटक हमला एस०पी० आफिस में हाकी व् तलवार जैसे कुछ औजार से करने कि कोशिश किया गया जिसकी लिखित शिकायत दिनांक 10/08/17 को थाना प्रभारी महोदय बरगवां और दिनांक 11/08/17 को थाना प्रभारी महोदय वैढन, एस०पी० महोदय सिंगरौली व कलेक्टर महोदय किया गया जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया जिससे आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा दिनांक 19/08/17 को पुन: फोन कर फरियादी को माँ-बहन कि गाली दिया गया जिसकी शिकायत फोन पर एस०पी० महोदय को और व्हाट्सएप पर अतिरिक्त एस०पी० महोदय एस०पी० महोदय सिंगरौली व कलेक्टर महोदय से किया गया किन्तु आज तक सिंगरौली पुलिस द्वारा कोई कार्यवाहीं नहीं किया गया दिनांक 29/08/17 को अतिरिक्त एस०पी० महोदय एस०पी० महोदय सिंगरौली व आई०जी० महोदय रीवा रेंज द्वारा सिंगरौली एस०पी० आफिस में एक प्रेसवार्ता किया जाता हैं जिसमे आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय भी प्रेसवार्ता में अतिरिक्त एस०पी० महोदय एस०पी० महोदय सिंगरौली व आई०जी० महोदय रीवा रेंज के सामने बैठा स्पस्ट दिखाई दे रहा हैं जिससे स्पस्ट हैं कि आरोपी देवेन्द्र द्वारा किया गया फरियादी पर प्राणघाटक हमला किसके सह से किया गया ।

देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा किया गया दूसरा हमला की कोशिश :- दिनांक 07/10/17 को एक मो० नंबर 9993690858 से फोन आया और बताया गया कि वैढन थाना से बोला जा रहा हैं और न्यूज़-24 मामले में मेरा वयान लेना चाहते हैं । इतफाक से मै उस समय वैढन थाना में ही था, जिससे मुझ फरियादी द्वारा बताया गया कि मै वैढन थाना में ही हैं । बताये कहा आना हैं । जिससे फोन को काट दिया गया । और तब से लेकर आज पत्र लिखे गए दिनांक तक उक्त नंबर से कोई अन्य फोन नहीं आया । उसी समय दिनांक 07/10/17 को ही मुझ फरियादी के पास बैठे SI

N.K. Gupta
14-11-17

त्रिपाठी जी जो की वैढन थाना में पद्यस्थ हैं, से वारदात की जानकारी दिया । जिससे SI त्रिपाठी जी जब उक्त नंबर पर फोन किये तो सामने से SI त्रिपाठी जी को बताया गया की वो किसी नीरज गुप्ता को नहीं जनता और न ही वो वैढन थाना से हैं और न कभी नीरज गुप्ता को फोन किया था । जिस पर मुझ फरियादी द्वारा मामले को भापते हुए थाना वैढन में एक लिखित शिकायत दिया गया । जिस पर जाँच कर रहे SI त्रिपाठी द्वारा मुझ फरियादी को कुछ दिनों बाद बताया गया की उक्त नंबर थाना वैढन में पद्यस्थ SI एफ०एस० ठाकुर का हैं । जिसके बाद SI त्रिपाठी द्वारा उल्टा मुझ फरियादी को ही भलाबुरा कहा गया । जिससे ये बात स्पस्ट होता हैं कि मुझ फरियादी पर हो रहे प्राणघातक हमले के पीछे सिंगरौली जिला प्रसाशन का भी हाँथ हैं ।

N.K. Gupta

दिनांक 14/10/17

फरियादी / शिकायतकर्ता

नीरज गुप्ता पिता मुन्नी लाल गुप्ता
नि०/ग्रा० बरगवां थाना बरगवां
जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश
मो० नं० 7771822877

संलग्न :-

1 फरियादी द्वारा पुलिस के आला-अधिकारिओं से खुद की जान की सुरछा की मांग करने वाबत किये गए लिखित शिकायत की छाया प्रति (3 पन्ने)

2 माननीय रिटायर SDOP राजेश सिंह परिहार द्वारा किये गए त्रुटीपूर्ण जाँच की छाया प्रति (5)

3. माननीय CM हेल्पलाईन मध्य प्रदेश द्वारा दर्ज किया गया शिकायत की छाया प्रति (3)

4. आरोपी देवेन्द्र पाण्डेय द्वारा खुद के 4-5 साथिओं द्वारा फरियादी पर दिनांक 09/08/17 को किये गए प्राणघातक हमले की शिकायत की छाया प्रति (2)

5. दिनांक 07/10/17 को वैढन थाना में पध्यस्त SI FS ठाकुर (मो०नं० 9993690858) द्वारा मुझ फरियादी पर किये गए प्राणघातक हमले की शिकायत की छाया प्रति (1)

6. उक्त मामले में समस्त आरोपियों द्वारा मुझ फरियादी से किये गए फोन टेप की छाया कॉपी (एक डी०वी०डी०)

प्रतिलिपि

1. **श्री मान DGP महोदय मध्य प्रदेश**
   भोपाल, मध्य प्रदेश
2. **श्री मान मुख्य मंत्री महोदय**
   भोपाल, मध्य प्रदेश
3. **श्री मान गृह मंत्री महोदय**
   भोपाल, मध्य प्रदेश

N.K. Gupta
14.11.17

भारतीय डाक

India Post

SP JIAWAN SO <486881>

GSTN No: APPLIEDFOR12345

EI032187085IN

Counter No:1,OP-Code:USER

To:I G REWA RENGE,REWA

rewa, PIN:486661

From:NIRAJ GUPTA , BARGAWA--486886

Wt:200grams, 23/11/2017 ,10:37

Amt:47.00

,CGST @9% 3.5 ,SGST @9% 3.50

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

भारतीय डाक

India Po

SP JIAWAN SO (486881)

GSTN No:: APPLIEDFOR12345

EI032187001IN

Counter No:1,OP-Code:USER

To:HOME MINISTER,MP GOV

bhopal, PIN:462001

From:NIRAJ GUPTA , BARGAWA--4

Wt:200grams, ,23/11/2017 ,10:4

Amt:47.00

,CGST @% 3.5 ,SGST ....

<<Track on www.indiapost.gov.i

भारतीय डाक

India

SP JIAWAN SO (486881)

GSTN No: APPLIEDFOR12345

EI032187046IN

Counter No:1,OP-Code:USER

To:D G P POLICE HED OF.JAHGAHEABAD BHO

BHOPAL, PIN:462001

From:NIRAJ GUPTA , BARGAWA ,486886

Wt:200grams, ,23/11/2017 ,10:41

Amt:47.00

CGST @9% 3.5 ,SGST @9% 3.50

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post

SP JIAWAN SO (486881)

GSTN No: APPLIEDFOR12345

EI032187125IN

Counter No:1,OP-Code:USER

To:CPL,MP GOV

Bhopal, PIN:462001

From:NIRAJ GUPTA , WAIDHAN - 486886

Wt:200grams, ,23/11/2017 ,10:44

Amt:47.00

,CGST @9% 3.5 ,SGST @9% 3.50

<<Track on www.indiapost.gov.in>>

भारतीय डाक

India Post